# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 21 ( )2014/आयो./प्रमुवसं/ दिनांक 08 जून, 2015

## परिपत्र

प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य विगत कई वर्षों से वन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है जिसके यद्यपि उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं, किन्तु यह भी महसूस किया जाता रहा है कि कई वृक्षारोपण कार्य शुरू शुरू में तो ठीक रहते हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी स्थिति संतोषप्रद नहीं रहती है एवं वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है अग्रिम मृदा कार्य एवं पौधारोपण कार्य में सही तकनीक का नहीं अपनाया जाना। पौधारोपण कार्य करते समय इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जावे कि वानिकी कार्य उस क्षेत्र के स्थल एवं स्थानीय लोगों की आवश्यकता (Need Based and Site Specific) के अनुरूप एवं सही तकनीक पर आधारित हो। तभी हम वानिकी कार्यों के दीर्घ कालिक एवं टिकाऊ परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विभाग द्वारा अग्रिम कार्यों एवं वृक्षारोपण के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। यह परिपत्र इस दिशा में पूर्व में दिये गये आदेशों, निर्देशों के क्रम में पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

1. सामान्यतया अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य एक ही वर्ष में नहीं करवाए जावे। यदि किन्ही कारणों से अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण एक ही वर्ष में करवाना आवश्यक हो जावे तो इसकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त की जावे।
2. वृक्षारोपण के कार्य स्थलों का चयन वृक्षारोपण की आवश्यकतानुसार कार्य स्थल की परिस्थिति के अनुसार किया जावे। कार्य स्थल का चयन करते समय प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति चराई का दबाव आदि को भी ध्यान में रखा जावे। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चयनित कार्यस्थलों का उप वन संरक्षक के द्वारा अनुमोदन करने के उपरांत ही अग्रिम कार्य प्रांरभ किए जावे। जहां तक संभव हो उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक अग्रिम मृदा कार्य करने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर आश्वस्त होंगे की कार्यस्थल का चयन सही किया गया है।
3. वृक्षारोपण क्षेत्र में पाए जा रहे प्राकृतिक पौधो को बढावा देने के हर संभव प्रयास किए जावे। इस कार्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कटबैक, प्रूनिंग, थावले बनाना तथा प्रजाति की आवश्यकतानुसार रिंग ट्रेंच बनाने का कार्य किया जावें। तेन्दू के क्षेत्र में कर्षण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक कराया जावे जिससे कि तेन्दू पत्ता उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हो।
4. वृक्षारोपण की उत्पादकता बढानें के लिए वृक्षारोपण के माडल के अनुसार उन्नत किस्म की घास का बीजारोपण किया जावें। वृक्षारोपण क्षेत्र में फरोज बनाकर घास के उन्नत बीजों की सामयिक बुवाई कर क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढाई जावें क्योंकि घास के उत्पादन से जनता को अधिक लाभ मिलेगा एवं उनका क्षेत्र से आर्थिक रूप से जुडाव बढेगा। वीडिच और टेन्चों पर कैस्टर,रतनजोत एवं औषधिय पौधों के बीज अन्य वृक्ष की प्रजातियों के साथ किया जावे। फैन्सिग लाईन के साथ–साथ आवश्यकतानुसार रतनजोत एवं थोर की कटिंग लगाई जावें।
5. वृक्षारोपण एवं बीजारोपण हेतु ऐसी प्रजातियों का चयन किया जाना आवश्यक है जिनसे स्थानीय जनता को अधिक से अधिक लाभ अल्प से दीर्घ अवधि मे मिल सके। जिससे कि तीन चार वर्षो बाद घास का उत्पादन कम हो जावें तो विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों से फल, चारा एवं अन्य लघु वन उपज प्राप्त हो। पौधों की प्रजातियों का चयन करते समय क्षेत्र की पारिस्थितकीय स्थिति, प्रजाति क्षेत्र के लिए उपयुक्तता एवं क्षेत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखा जावे जिससे कि आने

वाले वर्षो में उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन भी कायम हो। यथासंभव स्थानीय प्रजातियों को प्रमुखता दी जावें। पौधारोपण में सभी किस्म के पौधे तकनीकी आवश्यकतानुसार लगाए जावे तथा चौडी पत्ती वाले पौधे 3 फीट से बडे और मजबूत लगाये जावें। कैज्युअल्टी रिप्लेसमेन्ट के लिए भी बडे पौधों का उपयोग किया जावे।

6. कांटेदार पौधों के बीजों की बुवाई कार्यस्थलों पर तकनीकी आवश्यकतानुसार प्रजाति की उपयुक्तता के अनुसार की जावें।
7. क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार शीशम के पौधे रूटशूट कटिंग्स से तैयार किए जावे।
8. वृक्षारोपण क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक कार्य भू एवं जल संरक्षण के करवाये जावे।
9. वृक्षारोपण का कार्य यथा संभव मानसून के आगमन के साथ ही प्रारम्भ कर शीध्रतिशीध्र पूर्ण किया जावे। पहली बारिश के बाद दूसरी बारिश मे विलंब होने की आंशका हो तो पिण्ड को पानी में भिगोकर डीप प्लान्टिग की जावें।
10. वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के रोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये तथा प्रत्येक साइट पर पाँच बड व पाँच पीपल के पौधे लगवाना सुनिश्चित किया जावे। मरूस्थलीय क्षेत्रो में नीम, रोहिडा एवं खेजड़ी के पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. सड़क किनारे वृक्षारोपणों मे 5 से 6 फीट ऊचाई के पौधे रोपित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
12. वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावे एवं वन सुरक्षा समितियों को सक्रिय बनाया जाकर सहयोग लिया जावें। समिति द्वारा कराये गये कार्यों का पूर्ण रिकार्ड संधारित करना सुनिशिचित की जावें।
13. प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल का प्लाण्टेशन जनरल (मय ट्रीटमेंट प्लान) संधारित किया जावें एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय वृक्षारोपण से संबंधित समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवाया जावे। अग्रिम मृदा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, अग्रिम मृदा कार्य तथा वृक्षारोपण के पश्चात के फोटोग्राफ्स संधारित किये जावे।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे। ये निर्देश सलाहकारी है जिनमें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर स्वविवेक एवं अनुभव के आधार पर उप वन संरक्षकगण आंशिक संशोधन कर सकते है।

Sd.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 21 ( )2014/आयो./प्रमुवसं/15588–1712 दिनांक 08 जून, 2015

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारी गणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(HoFF) राजस्थान, जयपुर